

जन वितरण प्रणाली हेतु सामर्थ्य योजना

➤ इस जिले में कुल 1198 जन वितरण अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारी हैं, जिसमें से कुल 176 पैक्स के अनुज्ञप्तिधारी हैं, 23 स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारी हैं व शेष 1099 जन वितरण प्रणाली विक्रेता हैं।

➤ प्रायः यह देखा गया कि जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा दो से तीन माह के खाद्यान्न की अग्रिम राशि जमा की जाती है। यदि उठाव की स्थिति अद्यतन हो, फिर भी कम से कम दो माहों के आवंटित खाद्यान्नों के विरुद्ध अग्रिम राशि जमा करना आवश्यक हो जाता है।

➤ ऐसे बहुत सारे जन वितरण प्रणाली विक्रेता हैं, जो आर्थिक रूप से काफी कमजोर हैं। उनकी आर्थिक कमजोरी के कारण कई समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, यथा :-

1. राशि जमा करने के लिए उनके द्वारा अधिक ब्याज/सूद पर राशि ली जाती है, जिसके कारण उनके वास्तविक लाभ का ह्रास होता है।
2. राशि के अभाव में प्रायः उनके द्वारा खाद्यान्न के विरुद्ध राशि जमा करने में कठिनाई होती है, जिससे शत-प्रतिशत राशि जमा नहीं किया जाता है।
3. राशि के अभाव में ऐसे जन वितरण प्रणाली दुकानदार दलालों/बिचौलियों के चंगूल में फंस जाते हैं।
4. इन सभी परिस्थितियों में या तो खाद्यान्न का उठाव कम हो जाता है या कालाबाजारी करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है।
5. इन सारी परिस्थितियों में संबंधित उपभोक्ता भी लाभ से वंचित हो जाते हैं।

ऐसी परिस्थितियों में आवश्यकता महसूस की गई कि जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को आर्थिक सहायता दी जाय ताकि वे आर्थिक रूप से सामर्थ्य हो जाएँ। इसी क्रम में मध्य बिहार ग्रामीण बैंक से वार्ता की गई एवं समन्वय स्थापित कर सभी विक्रेताओं को कम से कम तत्काल आर्थिक मदद के रूप में 50,000/- (पचास हजार) रूपए का कैश क्रेडिट दिलवाया जाय।

मध्य बिहार ग्रामीण बैंक द्वारा अभियान चलाकर कुल 532 जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को 2,89,00,000/- रूपए का कैश क्रेडिट दिलाया गया है। शेष सभी 567 जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को भी इसी वर्ष अभियान चलाकर कैश क्रेडिट की सहायता उपलब्ध करा दिए जाने की योजना है।